न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका, आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 20/2017 (223 आर.टी.एक्ट.) तारीख रज्जू 10.07.2017
आरसीएमएस संख्या :— 2017/00022

उनवान

1. खूबीराम पुत्र भूपी जाति कछवाया,ठाकुर निवासी चक दारापुर न0 2 तहसील व जिला भरतपुर— (मृतक)
(मृतक)

1/1 गिर्राजसिंह
1/2 गोरधन सिंह
1/3 घमण्डी सिंह
} पुत्रान स्व0 खूबीराम जाति कुशवाह निवासी चक दारापुर न02 तहसील जिला भरतपुर।

.....अपीलांटस।

बनाम

1. अर्जुन
2. लाखन
3. भंवरसिंह
} पिसरान दीनबंधु जाति कछवाया निवासी चक दारापुर न02 तहसील जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेंटस

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपील अनतर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर दिनांक 28.05.2016 प्रकरण संख्या 597/2008 उनवानी अर्जुन बनाम खूबी वगै0।

उपस्थित :–

1. अपीलांटस की ओर से वकील श्री नरेन्द्रपालसिंह
2. रेस्पोंडेटस की ओर से श्री दिनेश शर्मा

निर्णय

17.07.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 के विरूद्व पेश की गई है। जो इस प्रकार है कि दावा शहादत प्रतिवादी में लगा हुआ था जो कि अपील को बिना सुने व बिना सूचना दिये ही पत्रावली को लोक अदालत में रख दिया और अपीलांट/वादी की बैक में इसका फैसला दिनांक 28.05.2016 को कर दिया है। जिसमें अपीलांटस को बिना सुने व बिना सबूत लिये निर्णय पारित कर दिया है। हाल खसरा नम्बर 298 में रकवा 87 एयर में से 06 एयर रकवा कम करके रेस्पो0 के हाल खसरा नम्बर 296 में दर्ज किया है जोकि रेस्पो0 का है। अधीनस्थ न्यायायल ने साबिक खसरा नम्बर 108 रकवा 5 वीघा 2 विस्वा के जमाबन्दी में दर्ज होने की वजह से उसका रकवा वैसा मान लिया है जबकि पुराना खसरा नम्बर 108 गटठे के हिसाब से 5 वीघा 10 विस्वा बैठता है जिसके 88 एयर होते है सेटिलमेंट ने खसरा नम्बर 108 के 2 नम्बर बनाये है 297/01 व 298/87 और इन दोनो नम्बरो का रकवा भी 88 एयर बैठता है और अपीलांट/वादी का रकवा वैसा नही है इसमें से 6 एयर गलत कम किया है। यह फैसला अपीलांट /वादी की अनुपस्थिति में बिना पत्रावली को देखे किया है जो हर हालत में काबिल मन्सूखी के है। अपीलांट ने अपने जबाब दावा के साथ में गटठो की नकल पेश की है उसका मुलहाजा नही किया गया है और इकतरफा में यह फैसला कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला हर हालत में काबिल मन्सूखी के है । निर्णय अपीलांट की बैक ने दिया है जिसका अपीलांट/वादी को कोई इल्म नहीं हुआ । सर्वप्रथम अपीलांट को इल्म दिनांक 29.07.2016 मे हुआ जिसकी नकल 29.07.2016 को मिली है । इल्म से व नकल मिलने से अपील अन्दर मयाद पेश की और डिले कण्डोन करने के लिए दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2016 को खारिज फरमाया जावे।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोटेण्टस को जरिये सम्मन तलव किया गया। रेस्पोटेण्टस की ओर से पैरवी हेतु वकील श्री दिनेश चंद शर्मा एवं सोनीराम शर्मा ने हाजिर अदालत आकर वकालनामा पेश किया रेस्पोटेण्टस की ओर से जबाब अपील प्रस्तुत नही किया गया।

अतिरिक्त अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को अपील पर सुना । दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि अपीलाण्टस को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था क्योंकि निर्णय उनके पीछे से दिया गया था और उनको कोई सूचना व नोटिस भी नही दिया गया था। इसकी जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 29.07.2016 को हुई तो तुरन्त नकल लेकर बिना देरी के अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश की गई। इस संबंध में देरी को माफ करने का निवेदन किया तथा माननीय न्यायालय की नजीरे आर.आर.टी 2016–17 (Supp.) पेज 566 भी उद्धत कर दलील दी कि यह दावा साक्ष्य प्रतिवादी में लगा हुआ था और अपीलांटस को बिना सुने व बिना सूचना दिये ही इसको लोक अदालत मे रख कर अपीलांटस की गैर मौजूदगी / बैक में दिनांक 28.05.2016 को निर्णित किया गया जो काबिले निरस्त है। लोक अदांलत में केवल राजीनामा के आधार पर निर्णित होने वाले प्रकरण ही रखे जाते है लेकिन हमारे प्रकरण में कोई राजीनामा नहीं हुआ था और हम इस कार्यवाही के दौरान उपस्थित भी नहीं थे । इस प्रकार यह निर्णय बिना न्यायिक प्रकिया की पालना के निर्णीत हुआ है जो काबिले खारिज है और पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने योग्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत आर.आर. टी. 1016 पेज 566 भी उद्धत किया । अतः हमारी अपील स्वीकार फरमायी जाये

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्टस ने दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांटस द्वारा दी गई दलीलों का पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी कि अपीलांटस की अपील मयाद बाहर पेश हुई है जैसा कि अपील दिनांक 13.02.2017 को पेश की गई है तथा इसकी जानकारी दिनांक 29.07.2016 को होना बता रहे है जबकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2016 का है और मयाद मे केवल 60 दिन की ही छूट ली जा सकती है। जानकारी होने के बाद भी यह अपील 5 माह देरीना से पेश की गई। है। अपने तर्कों के समर्थन में अभिभाषक रैस्पो० की ओर से माननीय न्यायालय की नजीरे यथा RBJ 2016 (Sc) पेज 552 RBJ 2012 पेज 302 (HC RAJ.) RBJ 2010 पेज 289 (HC RAJ.), RBJ 2014 पेज 472. RRD 2019 पेज 672 एवं RRD 2020 पेज 187

अतिरिक्त अपील प्राधिकारी

उद्धत कर मयाद प्रार्थना पत्र को मयाद बाहर होने से खारिज फरमाने का निवेदन किया इसके अलावा अपील के संबंध में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय में पेश हमारा दावा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ही डिक्री किया गया है। हमारा साबिक खसरा नंबर 107 रकबा 5.08 था जिसका हाल खसरा नंबर 296 रकबा 0.80 हे० बना है जबकि हमारा रकवा 87 एयर बनना चाहिये जो गत रकबे की तुलना में 7 एयर कम है। अपीलांट / प्रतिवादीगण का गत ख0न0 108 रकबा 5.02 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नंबरान 297/0.01 हे0 व 298/0.87 हे0 बने है जबकि इनका रकबा 81 एयर होना चाहिये था तो बंदोबस्त विभाग ने इसका रकबा 7 एयर बढ़ा दिया। हमने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश की तथा दिनांक 30.12.2015 को वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य बंद हो गयी थी। प्रतिवादी स्वयं की मौखिक साक्ष्य हो गई थी। दस्तावेजात भी प्रतिवादीगण ने पेश कर दिये थे। विद्वान अभिभाषक रेस्पो० ने प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में लगा हुआ था और हमें अर्थात अपीलांटस को बिना सुने ही निर्णीत किया के संबंध में तर्क दिया कि पत्रावली पर यदि पूर्ण / पर्याप्त साक्ष्य है तो उसको अपीलीय न्यायालय प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड नही कर सकता है जैसाकि न्यायिक नजीरे 2010 RBJ 2016 पेज 330 मे प्रतिपादित किया गयां है। इसके अलावा न्यायिक दृष्टांत RBJ 2016 पेज 587 उद्धृत करते हुए तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्रकरण को निर्णीत किया जावेगा। साथ ही बदोबस्त विभाग को बिना किसी सक्षम आदेश के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियों को बदलने का अधिकार नही है तथा यह मामला रकबा पूर्ति का है जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने सही आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जाये

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । सर्वप्रथम प्रकरण में प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम को निर्णीत किया जाना है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा मौजूदा अपील जानकारी होने के बाद विलम्ब से पेश की गई है। लेकिन इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने भी विभिन्न मामलों मे मयाद के बिंदु पर उदार दृष्टिकोण रखने का मत प्रतिपादित किया है ताकि कोई भी पक्षकार न्याय से वंचित न. हो। प्रकरण में

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

उभयपक्ष को मयाद पर सुनने एवं माननीय न्यायलय के दृष्टांतो का अवलोकन करने पर मयाद अवधि को माफ किया जाना उचित पाते है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार कर अपीलाण्टस को देरीना अवधि माफ की जाती है।

6. अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि दिनांक 30.12.2015 को प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में नियत था और प्रतिवादी खूबीराम का बयान DW-1 पेश होकर शेष साक्ष्य पेश करने हेतु नियत किया गया था। दिनांक 16.03.2016 को भी पत्रावली शेष साक्ष्य प्रतिवादी में ही नियत रही और आगामी पेशी दिनांक 09.06.2016 लगायी गई थी। लेकिन दिनांक 28.05.2016 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट उधापुर में रखा गया जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति को कोई अंकन आदेशिका पर नहीं पाया जाता है तथा न ही उनकी उपस्थिति के संबंध में आदेशिका पर उनके हस्ताक्षर पाये जाते है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि उभयपक्ष को दिनांक 09.06.2016 के स्थान पर राजस्व लोक अदालत में दिनांक 28.05.2016 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस जारी करना भी नही पाया जाता है। इस प्रकार यह बखूबी स्पष्ट हो जाता है कि अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारों को सूचित किये एवं बिना सुने पारित किया है तथा पत्रावली में साक्ष्य भी पूर्ण होकर बंद नहीं हुई थी। इसके अलावा लोक अदालत की मंशानुरूप प्रकरण में उभयपक्ष में कोई राजीनामा भी नही हुआ था। प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया का सरासर उल्लघन हुआ है। और पक्षकारों को उनके सुनवाई के अधिकार से पूर्णतया वंचित किया जाना पाया जाता है। हम विद्वान अभिभाषक अपीलांटस के तर्कों से पूर्णतया सहमत है और उनके द्वारा उद्धत माननीय न्यायालय के दृष्टांत भी उनके मददगार है। ऐसी स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया की पालना के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाना उचित होगा।

7. फलस्वरूप उपरोक्त विवेचन के मध्येनजर अपीलांटस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.05.2016 को अपास्त किया जाता है और प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कर निर्देश दिया जाता है कि वह उभयपक्ष की पूर्ण दस्तावेजी / मौखिक साक्ष्य लेखबद्ध कर उनको समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर विधि संगत निर्णय पारित करे।

आज दिनांक 17.07.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर